

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)


हीरालाल पिता ज्वारा चाकड़ नि धोला दाता रोपा

बनाम

मोहन लाल पिता खाना रेगर नि रोपां वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल आर. ए. मुकदमा नं. 869/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नकल न लारिये अहकाम जो हुकम की तारीख न जारी हुये
05.07.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/सयुक्त खाते की भूमि ग्राम रोपा 1 प. ह. रोपा 1 तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 3807, 3808, 3853, 3854, 3855, 3856, 3858, 3921, 3923 कुल किता 9 रकबा 3.5207 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र सलमन है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ सलमन नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम रोपा 1 प. ह. रोपा 1 तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 3807, 3808, 3853, 3854, 3855, 3856, 3858, 3921, 3923 कुल किता 9 रकबा 3.5207 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोपा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500- रु तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौक पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 05 जून 2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा  
कमांक / रीडर / 2023 / १६९ / 2023 दिनांक :- ०९.०७.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. १६९ / 23 अनवान हीरालाल पिता ज्वारा धाकड नि. धोला दाता रोपा बनाम मोहन लाल, नन्दा, काशी, दुर्गा पिता खाना रेगर, जगदीश पिता गिलू रेगर, नासायण पिता नाथू रेगर नि. रोपां वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम रोपा 1 प. ह. रोपा 1 तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 3807, 3808, 3853, 3854, 3855, 3856, 3858, 3921, 3923 कुल किता 9 रकबा 3.5207 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक रोपा को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1500 रु तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश कर।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)